**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

सं०सं०–11/वृ०उ०–9–01/2024– 184 /पटना, दिनांकः 12/01/26

## अधिसूचना

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं०–7566 दिनांक–14.07.2010 एवं अधिसूचना सं०–10543 दिनांक–06.10.025 में निहित प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक–16.12.2025 को आहूत की गई। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा सम्वर्ग–1/2 के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों को 30 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3590 दिनांक–24.05.2017 की अनुसूची–II में वर्णित वेतन स्तर की उच्चतर क्रमिक वेतन स्तर–13 में निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :–

| क्र० सं० | नाम | आई० डी० | जन्म तिथि | सेवा निवृत्ति की तिथि | सहायक अभियंता (असै०) के पद पर प्रथम प्रभार की तिथि | पुनरीक्षित वेतन स्तर–13 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 37,400–67,000, ग्रेड वेतन–8700/–) में स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी. की देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | श्री उमेश मुखिया | 4455 | 09.06.1965 | 30.06.2025 | 23.05.1995 | **दिनांक–23.05.2025** | |
| 2 | श्री शशि कुमार चौधरी | 4383 | 21.01.1971 | 31.01.2031 | 19.05.1995 | **दिनांक–19.05.2025** | |
| 3 | श्री सत्येन्द्र कुमार | 4420 | 18.12.1968 | 31.12.2028 | 19.05.1995 | **दिनांक–19.05.2025** | |

2. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

3. उपर्युक्त के फलस्वरूप उत्क्रमित वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०–3590 दिनांक–24.05.2017 के कंडिका–11 के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना के अन्तर्गत्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु सम्बन्धित कर्मी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से। उक्त विकल्प अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना होगा।

5. भविष्य में अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उक्त प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/01/26

(सरफराज अहमद)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–11/वृ०उ०–9–01/2024– 184 /पटना, दिनांकः 12/01/26

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना–7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/01/26
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–11/वृ०उ०–9–01/2024– 184 /पटना, दिनांकः 12/01/26

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/26
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–11/वृ०उ०–9–01/2024– 184 /पटना, दिनांकः 12/01/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास, विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4–कोटिल्य मार्ग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (वाल्मी सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/संबंधित सभी कार्यरत/सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, बिहार तथा प्रशाखा पदाधिकारी–6, 7, 10, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/26
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–11/वृ०उ०–9–01/2024– 184 /पटना, दिनांकः 12/01/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय/Common integrated website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/01/26
अवर सचिव (प्रबंधन)